मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1230 /MGNREGS-MP/NR3/SE-1/2012 भोपाल, दिनांक 04 02.2012

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत – (समस्त), मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्रिकी सेवा संभाग, (समस्त), मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत – (समस्त), मध्यप्रदेश।

विषय :– पंचायत राज की संचालित योजनाओं की एकीकृत कार्ययोजना एवं ग्रामों में आतंरिक सडकों के निर्माण में अभिसरण।

संदर्भ :–(1) पंचायत राज से संबंधित, म.प्र. शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल, के परिपत्र क्र. पंरा/वित्त यो./2011/119/9906, दि. 11.11.2011 एवं परिपत्र क्र. 02–119 दि. 28.12.2011

(2) आतंरिक पथ से संबंधित विभाग का पत्र क. 9777/ MGNREGS-MP/NR3/SE-1/2011 दिनांक 10.10.2011

–00–

पंचायत राज से संचालित विभिन्न योजनाओं के समस्त निर्देशों को समाहित करते हुये समग्र रूप से एकीकृत कार्य योजना/बजट बनाकर राज्य स्तर से प्राप्त राशि का सही उपयोग करने एवं ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 एवं 2012–13 के अनुरूप आगामी कार्यवाही करने के निर्देश विभाग के संदर्भित पत्रों से जारी किये गये है। संदर्भित परिपत्र दिनांक 11.11.2011 के बिन्दु क्र. 2 व 4 (I) में ग्राम के आतंरिक मार्ग सीमेन्ट कांक्रीट सडक निर्माण कर बनाये जाने के निर्देश दिये गये है।

विभाग द्वारा आतंरिक पथ उपयोजना के तहत संदर्भित परिपत्र दिनांक 10.10.2011 से जारी निर्देशों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी व चौड़ाई में लगभग 50 से 61 प्रतिशत अभिसरण की राशि का अनुमान है तदनुसार मार्गदर्शी प्राक्कलन एवं ड्राइंग्स तैयार कर जिलों को भेजे गए हैं। मार्गदर्शी प्राक्कलन छिंदवाडा जिले में लागू जिला दर अनुसूची के आधार पर सामग्री के 5 किमी परिवहन के लिये तैयार किये गये हैं। कतिपय जिलों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि स्थल की आवश्यकता व स्थानीय स्तर पर 5 किमी के क्षेत्र में 40 एमएम गिट्टी हेतु पत्थर व मोटी रेत की उपलब्धता नहीं होने के कारण सामग्री के क्रय व परिवहन

को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किए गए प्राक्कलनों में अभिसरण की राशि अधिक आ रही है, जिसे अभिसरण के प्रस्तावित मदों से प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।

मार्गदर्शन के लिये सामग्री का कलेक्शन, लोडिंग अनलोडिंग मानव श्रम से कराया जाकर सामग्री के 5 किमी परिवहन की स्थिति को मानते हुये राज्य स्तर पर प्राक्कलन तैयार किए गए है, जिससे मानव श्रम से किये जाने वाले कार्य की राशि परिवहनकर्ता को भुगतान की जाकर सामग्री मद में समायोजित किये जाने की आवश्यकता न रहे। इस प्रकार तैयार किये गये मार्गदर्शी प्राक्कलनों के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा एवं अभिसरण की राशि के अनुमानित अंश का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका

स. क्र.	निर्माण कार्य			कुल लागत	मनरेगा के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य की लागत			अभिसरण (अन्य योजनाओं से लिये जाने वाले कार्यों की लागत)	मनरेगा का प्रतिशत	अभिसरण का प्रतिशत पंच परमेश्वर / विधायक / सांसद
	सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट	पक्की नाली विवरण	स्थानीय पस्थिति		60% मजदूरी	40% सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.00 मीटर चौड़ी सीमेंट कांक्रीट रोड	हाफ राउण्ड सीमेंट कांक्रीट पाइप की नाली (रोड के दोनों तरफ)	काली मिट्टी का क्षेत्र	3.80	1.04	0.69	1.73	2.07	46 %	54%
2			कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	3.50	0.84	0.56	1.40	2.10	40%	60%
3	2.00 मीटर चौड़ी सीमेंट कांक्रीट रोड	हाफ राउण्ड सीमेंट कांक्रीट पाइप की नाली (रोड के एक तरफ)	काली मिट्टी का क्षेत्र	1.91	0.55	0.37	0.92	0.99	48%	52%
4			कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	1.70	0.41	0.27	0.68	1.02	40%	60%
5	1.2 मीटर चौड़ी सीमेंट कांक्रीट रोड	बगैर नाली के	काली मिट्टी का क्षेत्र	0.86	0.26	0.17	0.43	0.43	50%	50%
6			कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	0.72	0.17	0.11	0.28	0.44	39%	61%

कड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मोटी रेत के स्थान पर सड़क के बेस में ग्रेवल मुरम का उपयोग भी किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर सामग्री एकत्रित करने, लोडिंग व अनलोडिंग कार्य में जाबकार्डधारी श्रमिको से ही कार्य कराया जावें, सामग्री 5 किमी लीड से ज्यादा दूरी पर होने पर मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत के श्रमिको को 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी भुगतान कर कार्य कराया जावे।

उपरोक्तानुसार आंतरिक मार्ग का कार्य लिये जाने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि:

1. अभिसरण की राशि पंच परमेश्वर / विधायक / सांसद / अन्य में से किसी एक मद से ही उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

2. अभिसरण की राशि जिस योजना/मद से प्राप्त की जावे उसमें ग्राम की सड़क/आंतरिक मार्ग लिये जाना अनुमत होना चाहिये।
3. उक्त योजना के तहत लेखा–जोखा तैयार किये जावे व कार्य में राशि के उपयोग किये जाने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि जारी किया जावे।
4. अभिसरण के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा पूर्ववत निर्देशों के अनुक्रम ही जारी की जावेगी।
5. कार्यपालन यंत्री स्थल की स्थिति व जिला दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलन तैयार करावे एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी करें। जिससे प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र जारी होकर कार्य प्रारंभ हो सके।

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा जारी आंतरिक पथ उपयोजना के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए गुणवत्ता के साथ आंतरिक सड़क निर्माण कार्यों का संपादन कराया जावे।

5/2/12

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृष्ठा. क्र. 1231 /MGNREGS-MP/NR3/SE-1/2012 भोपाल, दिनांक 04 02.2012

प्रतिलिपि,

(1) निज सहायक, मा. मंत्रीजी, म.प्र. शासन सामाजिक न्याय तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
(2) निज सहायक, मा. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
(3) प्रमुख सचिव, म.प्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
(4) संभागीय आयुक्त, (राजस्व) समस्त संभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
(5) मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (पूर्व/पश्चिम), विकास आयुक्त कार्यालय विन्ध्याचल भवन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

5/2/12

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल